पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

आपराधिक याचिका अधिकारिता वाद संख्या.210/2019

थाना वाद सं.-वर्ष-थाना-जिला-से उद्भूत

==========

कल्याणी मेहता, आयु लगभग 41 वर्ष, लिंग-महिला, पति- रमेश मेहता साकीन गाँव-बकरचक, मानिकपुर थाना-सूर्यगढ़ा जिला-लखीसराय, ए. एन. एम. के पद पर पदस्थापित अनुमंडल अस्पताल, त्रिवेणीगंज, डाकघर और थाना त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, पटना।
3. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य, विभाग सहरसा
4. श्री घनश्याम झा, असैनिक शल्य चिकित्सक, सुपौल।
5. जिला मजिस्ट्रेट, सुपौल
6. उपाधीक्षक, अनुमंडल कार्यालय, त्रिवेणीगंज, सुपौल
7. एस. डी. एम. त्रिवेणीगंज, सुपौल
8. एस. एच. ओ., महिला थाना त्रिवेणीगंज, सुपौल
9. डॉ. प्रकाश कुमार, आयु लगभग 38 वर्ष (पुरुष)पे.- भोला प्रसाद यादव सा.- गाँव-लालपट्टी, वार्ड संख्या 3, पो.+थाना- त्रिवेणीगंज और जिला-सुपौल

.....प्रतिवादीगण

==========

आपराधिक प्रक्रिया संहिता- धारा 39, 154(1), 156(3), 190 और 200

याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर की क्योंकि उसकी सिविल सर्जन के समक्ष अभ्यावेदन तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के तहत सुचनात्मक याचिका पर कोई कार्रवाई नही की गई।

निर्णित किया गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता- धारा 154(1) अंतर्गत संज्ञेय अपराध में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी । फिर निर्णित किया गया कि यदि प्राथमिकी दर्ज नही किया गया तो व्यथित व्यक्ति धारा 154(3) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को लिखित रुप में डाक द्वारा अपने लिखित आवेदन की प्रति भेज सकता है जिसके बाद पुलिस अधीक्षक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके या तो स्वयं या दूसरे पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की निर्दोष देगा।

फिर निर्णित किया गया कि याचिकाकर्ता ने उसकी शिकायत के निवारण के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3), 190 और 200 के तहत प्रदान किए गए वैधानिक उपायों का लाभ नही उठाया है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए याचिका को खारिज किया जाता है।

(पारा 7,8 और 9)

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

आपराधिक याचिका अधिकारिता वाद संख्या.210/2019

थाना वाद सं.-वर्ष-थाना-जिला-से उद्भूत

==========

कल्याणी मेहता, आयु लगभग 41 वर्ष, लिंग-महिला, पति- रमेश मेहता साकीन गाँव-बकरचक, मानिकपुर थाना-सूर्यगढ़ा जिला-लखीसराय, ए. एन. एम. के पद पर पदस्थापित अनुमंडल अस्पताल, त्रिवेणीगंज, डाकघर और थाना त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, पटना।
3. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य, विभाग सहरसा
4. श्री घनश्याम झा, असैनिक शल्य चिकित्सक, सुपौल।
5. जिला मजिस्ट्रेट, सुपौल
6. उपाधीक्षक, अनुमंडल कार्यालय, त्रिवेणीगंज, सुपौल
7. एस. डी. एम. त्रिवेणीगंज, सुपौल
8. एस. एच. ओ., महिला थाना त्रिवेणीगंज, सुपौल
9. डॉ. प्रकाश कुमार, आयु लगभग 38 वर्ष (पुरुष)पे.- भोला प्रसाद यादव सा.- गाँव-लालपट्टी, वार्ड संख्या 3, पो.+थाना- त्रिवेणीगंज और जिला-सुपौल

.....प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

प्रतिवादियों याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री दया शंकर प्रसाद अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिएः श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव, एससी-23

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्विनी कुमार सिंह

मौखिक निर्णय

दिनांकः 04-02-2019

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वत अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा की गई परिवाद पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है, जैसा कि इस रिट याचिका के अनुलग्नक-1 श्रृंखला में निहित है। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 5 से 8 तक से रिपोर्ट मांगने का भी अनुरोध किया है कि प्रतिवादी सं.9 के खिलाफ की गई शिकायत पर एक तथ्य अन्वेषण समिति का गठन क्यों नहीं किया जाए। जैसा कि अनुलग्नक-1 श्रृंखला में निहित है और दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत पूर्ण प्रमाण जाँच के बाद प्रतिवादी सं.9 पर मामला दर्ज करें।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता उप-मंडल चिकित्सा अस्पताल, त्रिवेणीगंज, सुपौल में सहायक नर्स प्रसाविका (ए. एन. एम.) के रूप में तैनात है। उसी अस्पताल में, उत्तरदाता सं. 9 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में भी तैनात किया गया है। वह ओम सुभद्रा अस्पताल के नाम से में एक नर्सिंग होम चलाते हैं, जो सदर अस्पताल, त्रिवेणीगंज के सामने स्थित है। वह याचिकाकर्ता पर अपने नर्सिंग होम में

उसकी सेवाएं प्रदान करने के लिए दबाव डालता है। चूंकि उसे खाली समय नहीं मिलता है, इसलिए उसने उसके नर्सिंग होम में काम करने से इनकार कर दिया है। उसके इनकार ने उसे नराज कर दिया। 25.10.2018, को उसने याचिकाकर्ता को धमकी दी कि अगर वह उसके प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई तो उसका अपहरण कर उसके साथ बलात्कार और उसकी हत्या कर दी जाएगी। प्रत्यर्थी सं. 9 के हाथों उपरोक्त नृयंस चूक और कृत्यों से व्यथित होकर उन्होंने सिविल सर्जन, सुपौल को 26.12.2018 पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अदालत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 39 (संक्षेप में 'आ.प्र.संहिता') के तहत एक सूचनात्मक याचिका भी दायर की और इस संबंध में महिला पुलिस स्टेशन, सुपौल के प्रभारी अधिकारी और प्रभारी उप-अधीक्षक, उप-मंडल अस्पताल त्रिवेणीगंज, सुपौल को भी जानकारी दी गई, लेकिन उत्तरदाताओं द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

4. *इसके विपरीत*, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि तत्काल रिट याचिका में जिन राहतों के लिए अनुरोध किया गया है, वे गलत हैं। यदि, प्रतिवादी सं.9 द्वारा कोई संज्ञेय अपराध किया गया है, और पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षिप्त 'एफ. आई. आर.' के लिए) दर्ज करने में विफल रहा है, तो, याचिकाकर्ता को वैधानिक उपाय आ.प्र.सं. की धारा 154 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता को पंजीकृत डाक के माध्यम से आरोप के सार के बारे में सूचित करके पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाना चाहिए था। यदि वह प्राथमिकी दर्ज करने में भी विफल रहता, तो याचिकाकर्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 और 200 के तहत आवेदन दायर करना चाहिए था। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने कानून में उपलब्ध वैधानिक उपायों का लाभ नहीं उठाया है और वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. अनुलग्नक-1 श्रृंखला से यह प्रतीत होता है कि 26.12.2018 को, याचिकाकर्ता ने सिविल सर्जन, सुपौल को प्रतिवादी सं. 9 की चूक और कृत्य के संबंध में एक लिखित शिकायत की। हालाँकि, दिनांक 26.12.2018 की शिकायत के बाद याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत नहीं की गई है। यह आगे प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने महिला पुलिस स्टेशन, सुपौल के प्रभारी अधिकारी और प्रमण्डलिय अस्पताल, त्रिवेणीगंज, सुपौल के प्रभारी उपाधीक्षक से शिकायत की, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा कोई मामला दर्ज करने में विफल रहने पर, याचिकाकर्ता ने ऐसी जानकारी का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजा।

7. अपराधिक की धारा 154 (1) प्रदान करती है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रत्येक जानकारी, यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसे उसके द्वारा लिखित रूप में या उसके निर्देश के तहत पढ़ा जाएगा और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा और ऐसी प्रत्येक जानकारी, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या लेखवद्ध की गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा जिसे राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित करे।

8. अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की ओर से उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी दर्ज करने से इनकार करने से व्यथित है, वह ऐसी जानकारी का सार संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप में और डाक द्वारा भेज सकता है, जो यदि संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, तो या तो स्वयं मामले की जांच करेगा या अपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदान किए

गए तरीके से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण का निर्देश देगा और ऐसे अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।

9. यह स्वीकृत है कि, याचिकाकर्ता ने उसकी शिकायत के निवारण के लिए अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (3) के तहत प्रदान किए गए वैधानिक उपाय का लाभ नहीं उठाया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 और 200 के तहत भी कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर पुलिस रिपोर्ट के बिना भी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देती है। मजिस्ट्रेट की अदालत को, उचित मामलों में, अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच के लिए पुलिस को शिकायत भेजने का भी अधिकार है।

10. चूंकि याचिकाकर्ता ने अपने लिए उपलब्ध समान रूप से प्रभावी वैधानिक उपायों का लाभ नहीं उठाया है, इसलिए मैं इस आवेदन को असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र में स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

(अश्विनी कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

कंचन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।